प्रकरण संख्या 37 / 2020 GCMS ID-2020 / 00130 ता0रजू 20.11.2020

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुरेश चंद गुप्ता पुत्र श्री कल्याण प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत दौलतपुरा, तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज.) – अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली(राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 10.11.2020 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 23.12.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 02.04.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय जांच दल अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा प्रतिमाह राशन वितरण नहीं करना, दो माह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर एक माह का राशन वितरण करना, राशन कार्डों में गलत इन्द्राज करना, उपभोक्ताओं को कम यूनिट का राशन देना, पोस मशीन की पर्ची नहीं देना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार दिनांक 05.07.2019 को निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत दौलतपुरा, तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज.) के 1/2 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है जिसके प्राधिकार पत्र संख्या 107/2002 है एवं अपीलार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के वर्ष 2002 से ग्राम पंचायत दौलतपुरा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। विवादित आदेश दिनांक 05.07.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवंश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 02.04.2019 को अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई जिसमें मौके पर स्टॉक पूरा पाया गया एवं केवल मात्र पोस मशीन की पर्ची नहीं देना एवं दुकान नियमित नहीं खुलने बाबत् आरोप अंकित कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अपने आदेश दिनांक 08.04.2019 द्वारा निलंबित किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें मात्र तकनीकी अनियमितता बाबत् एक आरोप अंकित किया गया एवं अपीलार्थी को दिनांक 22.04.2019 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् द्वेषतापूर्वक जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा दिनांक 31.05.2019 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 13.06.2019 तक जवाब मांगा गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.05.2019 को जारी कारण बताओ नोटिस में जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा बिना किसी साक्ष्य के एक आरोप

जिला कलक्टर
करौली

बढ़ा दिया गया जिसके कारण दिनांक 13.06.2019 को अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जांच रिपोर्ट इत्यादि की कॉपी उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं फरमाकर पुनः दिनांक 24.06.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें जबाव हेतु आगामी तारीख पेशी 05.07.2019 नियत की गई जिसके साथ भी कोई जांच रिपोर्ट इत्यादि की कॉपी उपलब्ध नहीं करवायी गई जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया लेकिन जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा सुबह 10.00 बजे ही निरस्त किया जा चुका है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पूर्व में ही निरस्तीकरण आदेश तैयार कर लिया गया था जो कि जिला रसद अधिकारी करौली की बदनियती को साफ तौर पर दृष्टिगत करता है। अतः विवादित आदेश दिनांक 05.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 05.07.2019 में गबन व अनियमितता बाबत् कोई आरोप अंकित नहीं है एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.07.2019 में भी तकनीकी अनियमितता बाबत् एक आरोप है लेकिन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा द्वेषतापूर्वक पुनः कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.05.2019 जारी किया जिसमें बिना किसी साक्ष्य के प्रार्थी के ऊपर 4.5 क्विं. चीनी अधिक पायी जाने का आरोप अंकित किया जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रसद सामग्री का वितरण पोस मशीन द्वारा किया जा रहा है जिसमें अनियमितता की कहीं कोई गुंजाइश संभव नहीं है। पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री वितरण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है—आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पोश मशीन पर लगाकर अपनी पहचान दर्ज करके ले सकते हैं। अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाईट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान ना हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह से जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है। अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है । इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई–मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन–देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। इस प्रकार रसद सामग्री का वितरण ऑनलाइन होने के कारण उपभोक्ता के मोबाइल पर रसद सामग्री प्राप्ति का मैसेज आ जाता है। अतः उक्त प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी / अनियमितता किये जाने की संभावना कतई रूप से नहीं हो सकती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आदेश दिनांक 05.07.2019 में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा यह स्वीकार किया है कि चीनी का स्टॉक 4.5 क्विंटल स्टॉक के अनुसार सही पाया गया है लेकिन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा काल्पनिक तथ्यों के आधार पर झूंठे आरोप अंकित किया जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित साक्ष्य व निष्कर्ष के निरस्त किया गया जो कि कानूनी रूप से कतई उचित नहीं है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.

जिला कलक्टर
करौली

07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग किये बिना ही अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पारित किये निरस्त कर दिया जो कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 05.07.2019 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने के उपरांत प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली मय जांच रिपोर्ट की नकल प्राप्त की एवं संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 08.04.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भौतिक सत्यापन पर अपीलार्थी के स्टॉक में रसद सामग्री पोस मशीन में दर्ज स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सही पायी गयी बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण जांच रिपोर्ट से परे जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को कतई रूप से नजरअंदाज कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर दण्ड देते हुये निरस्त किया गया जो कि कानूनी रूप से उचित नहीं होने के कारण विवादित आदेश दिनांक 05.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जांच रिपोर्ट मय दस्तावेजात् इत्यादि उपलब्ध करवाने बाबत् कई बार निवेदन किये जाने के बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को ना तो जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाई एवं ना ही अन्य दस्तावेजात् अपीलार्थी को विवादित आदेश पारित करने से पूर्व उपलब्ध करवाये गये जिसके अभाव में अपीलार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2019 को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाये जाने बाबत् निवेदन किया लेकिन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एवं बदनियतीपूर्वक अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र का अत्यंत कठोर दण्ड देते हुए अपने आदेश / निर्णय दिनांक 05.07.2019 द्वारा निरस्त कर दिया। दिनांक 24.06.2019 को जारी किये गये नोटिस की तामील नहीं हुई है। नोटिस को रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाया जाना चाहिये था। पत्रावली में ए.डी. संलग्न नहीं है। इससे यह विदित नहीं होता है कि अपीलार्थी को प्रेषित किये गये नोटिस की तामील किस पर हुई है। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा नजर अंदाज कर अहम कानूनी भूल की है। अतः उक्त विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। अपीलार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवं अपीलार्थी के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है एवं केवल मात्र तकनीकी प्रकृति का आरोप है जिसके विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 द्वारा

जिला कलक्टर
करौली

निर्देशित किया गया है। बावजूद उसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना कोई उचित कारण के केवल उपभोक्ताओं के मौखिक शिकायत के आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि आम ग्राम पंचायतवासी दौलतपुरा एवं श्रीमोहन पुत्र श्री प्रभुलाल मीना निवासी दौलतपुरा द्वारा दिनांक 18.03.2019 को अपीलार्थी डीलर द्वारा राशन सामग्री वितरण करने की शिकायत की गई जिसकी जांच दिनांक 02.04.2019 प्रत्यर्थी, श्रीमती सुनीता मीना प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर मजमेआम में उपभोक्ताओं से पूछताछ किये जाने एवं दुकान की जांच करने अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा हर माह वितरण नहीं किया जाकर खाद्य सुरक्षा के अन्य पात्र परिवारों को दो माह में एक बार गेंहू का वितरण किया जाना, पोस मशीन की पर्ची (मात्रा, दर व राशि की स्लिप) नहीं दिया जाना, राशनकार्डों में मात्रा का इन्द्राज नहीं किया जाना, राशन सामग्री का नियमित वितरण नहीं करना, ऑनलाइन दो माह का राशन निकालकर एक माह का दिया जाना, एक माह के राशन का दुरुपयोग करना, यूनिट से कम राशन देना, राशनकार्डों में झूंठा इन्द्राज करना, उपभोक्ता श्री बन्टी पुत्र श्रवणलाल 007700800186, श्री गजानंद पुत्र रामदयाल 200002116889, श्री राजू पुत्र हरेत 007700800878 की राशन सामग्री कम देकर दुरुपयोग करना आदि पाया गया। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर दिनांक 08.04.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर दिनांक 08.04.2019 को ही अपीलार्थी राशन डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी तामील तहसीलदार सपोटरा द्वारा दिनांक 22.04.2019 को कराई गई। पुनः रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 31.05.2019 को जारी किया गया जिसके प्रत्युत्तर में दिनांक 13.06.2019 को अपीलार्थी के पुत्र ने उपस्थित होकर बताया कि उनका पिता बीमार चल रहा है तथा हाल ही में चार धाम की यात्रा से आया है। साथ ही चिकित्सा अधिकारी सपोटरा द्वारा जारी रोग प्रमाण पत्र पेश किया एवं श्री विष्णु चंद बंसल एडवोकेट का वकालतनामा भी प्रस्तुत किया। पुनः अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त हुई जिसे शामिल किया जाकर दिनांक 24.06.2019 को अपीलार्थी को पुनः नोटिस जारी किया गया। राशन प्राधिकार पत्र की निलंबन अवधि 90 दिवस से अधिक होने पर स्वतः ही बहाल होने के प्रावधान का फायदा लेने की गलत मंशा से उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा हर माह राशन वितरण नहीं करना, पोस मशीन से पर्ची नहीं देना, राशनकार्डों में गलत इन्द्राज करना, आदि अनियमिततायें पायी जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 02.04.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच जिला रसद अधिकारी करौली मय जांच दल द्वारा की गई। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा प्रत्येक माह राशन वितरण नहीं करना, दो माह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर एक माह का राशन देना, राशन कार्डो में गलत इन्द्राज करना, उपभोक्ताओं को यूनिट से कम राशन देना आदि अनियमितताएं पायी गई जिनके आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 08.04.2019, 31.05.2019 व 24.06.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। यद्यपि दिनांक 31.05.2019 व 24.06.2019 को जारी किये गये नोटिस अपीलार्थी पर तामील होना नहीं पाया गया है

जिला कलक्टर
करौली

तथापि अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अंकित दिनांक को अपीलार्थी की ओर से वकालतन या असालतन उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु जांच रिपोर्ट की नकल चाही गई है। इसलिये अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक की जानकारी रही है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 08.04.2019 को जारी नोटिस में एक आरोप अंकित किया गया है एवं दिनांक 31.05.2019 को जारी नोटिस में दो आरोप अंकित किये गये हैं। प्रत्यर्थी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में स्पष्टीकरण पेश किये जाने हेतु अपीलार्थी की ओर से दिनांक 13.06.2019, 05.07.2019 को जांच रिपोर्ट की नकल चाही गई है फिर भी अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिससे अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी करौली के कार्यालय में स्पष्टीकरण पेश नहीं कर सका जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की नकल उपलब्ध करवायी जाकर निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः हम अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 05.07.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट्स की नकल उपलब्ध करवाते हुए अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली